प्राथमिक शिक्षा विभाग हरियाणा

की

वर्ष 1989-90

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

NIEPA DC
D08965

प्रकाशक :

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

LIB[illegible]
N[illegible] Educational
Plan[illegible] [illegible]ation.
17-B, [illegible] Marg,
New [illegible]016
DOC, No. D-8965
Date 9-1-96

REVIEW OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT FOR THE YEAR 1989-90 PRIMARY EDUCATION DEPARTMENT.

During the year 1988-89, School Education Department was re-organised and Primary School Education Department was established separately. During the reporting period, 100 new Primary Schools were opened for Girls. At present, 27 Pre-Primary/Balwaries and 4922 Primary Schools are functioning in the State. The total number of students studying at Pre-primary and Primary stages was 6655 and 2043360, respectively. The percentage of school going students at Primary stage in the age group of 6-11 was 116.00 for Boys and 88.47 for Girls. The percentage of Scheduled Caste Boys & Girls in the age group of 6-11 was 108.26 and 84.46, respectively. An amount of Rs. 10899.80 Lakhs has been spent on Primary Education in the year 1989-90.

An amount of Rs. 84.80 lakhs was given as grant to Non-Government Primary Schools.

During the year 1989-90, Rs. 40.00 lakhs were spent to give free stationery to about 4 lakh scheduled caste and weaker section students to encourage them for getting education. To encourage scheduled caste girl students, attendance prizes of Rs. 172.98 lakhs were given to 144153 Girls. An amount of Rs.102.50

lakhs was provided for providing free uniforms to 165000 girl students of scheduled castes and weaker sections. In order to encourage nomadic tribe students, attendance prizes of Rs.27.49 lakhs were given to 13687 students. Under the 'Operation Black Board Scheme' in 1989-90 a sum of Rs.98.40 lakhs was spent for providing essential facilities to 1413 primary schools and additional posts of 100 Teachers were sanctioned for single teacher schools to provide them second post of teacher. Rs.27.00 lakhs were spent on book-banks for providing free text books to the students belonging to Scheduled Caste/Backward Classes/Weaker Section.

During the reporting period Smt. Sushma Swaraj was the Education Minister, Smt. Kiran Aggarwal, I.A.S. worked as Commissioner & Secretary to Government of Haryana, Education Department and Sh. Chander Bhan worked as Director of Primary Education in the State.

...DOCUMENTATION CENTRE
Na... ...ute of Educational
Pla... ...Administration.
17-B ...rg,
New
DOC, No
Date

प्राथमिक शिक्षा विभाग की वर्ष 1989-90 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

वर्ष 1988–89 में विद्यालय शिक्षा विभाग का पुनर्गठन किया गया जिसके अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा विभाग अलग से स्थापित किया गया । रिपोर्टाधीन वर्ष में कन्याओं के लिये 100 नये प्राथमिक विद्यालय खोले गये । इस समय राज्य में 27 पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां तथा 4922 प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं । वर्ष 1989–90 में पूर्व–प्राथमिक तथा प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल छात्र संख्या क्रमशः 6655 तथा 2043360 थी । प्राथमिक स्तर पर 6–11 आयु वर्ग के विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों कीप्रतिशतता 116.00 तथा छात्राओं की प्रतिशतता 88.47 थी । इसी प्रकार अनुसूचित जाति के 6–11 आयु वर्ग के बच्चों की प्रतिशतता क्रमशः 108.26 तथा 84.46 थी । वर्ष 1989–90 में प्राथमिक शिक्षा पर 1,08,99.80 लाख रुपये की राशि खर्च की गई ।

अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को वर्ष 1989–90 में 84.80 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी गई ।

वर्ष 1989–90 में छात्रों को शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति तथा कमजोर वर्ग के 4 लाख छात्र/छात्राओं को मुफ्त लेखन सामग्री देने के लिये 40.00 लाख रुपय व्यय किये गये । इसी प्रकार हरिजन छात्राओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 144153 छात्राओं को 172.98 लाख रुपये के उपस्थिति पुरस्कार दिये गये । अनुसूचित जाति तथा कमजोर वर्ग की 165000 छात्राओं को 102.50 लाख रुपये की राशि से मुफ्त वर्दी देने की व्यवस्था की गई । खानाबदोश जाति के छात्रों को भी प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 13687 छात्रों/छात्राओं को 27.49 लाख रुपये के उपस्थिति पुरस्कार दिये गये ।

वर्ष 1989–90 में आपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम के अन्तर्गत 1413 प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करने के लिये 98.40 लाख रुपये की राशि खर्च की गई तथा एक अध्यापकीय 100 विद्यालयों को एक–एक अतिरिक्त पद स्वीकृत किया गया ।

अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति/कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करने के लिये बुक बैंकों पर 27.00 लाख रुपये की राशि खर्च की गई ।

रिपोर्टाधीन अवधि में श्रीमती सुषमा स्वराज शिक्षा मन्त्री, श्रीमती किरण अग्रवाल आई०ए०एस० शिक्षायुक्त एवं सचिव तथा श्री चन्द्रभान ने निदेशक प्राथमिक शिक्षा के रूप में कार्य किया ।

प्राथमिक शिक्षा विभाग की वर्ष 1989-90 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

अध्याय–एक

प्रशासन एवं संगठन

वर्ष 1989–90 में श्रीमती सुषमा स्वराज ने शिक्षा मन्त्री के रूप में कार्यभार संभाला ।

सचिवालय स्तर पर

रिपोर्टाधीन अवधि में शिक्षायुक्त एवं सचिव, के पद पर श्रीमती किरण अग्रवाल आई०ए०एस० रहीं तथा संयुक्त सचिव के पद पर श्री बी०एस. चौधरी, आई०ए०एस० ने कार्य किया ।

निदेशालय स्तर पर

वर्ष 1988–89 में विद्यालय शिक्षा विभाग का पुनर्गठन किया गया था और हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3/29/80–शि. II (2) दिनांक 8–12–88 द्वारा प्राथमिक शिक्षा विभाग की अलग से स्थापना की गई थी । इसके अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार का कार्य प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधीन कर दिया गया था । तदानुसार मुख्यालय स्तर पर निदेशालय प्राथमिक शिक्षा और जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों की स्थापना की गई । रिपोर्टाधीन अवधि में श्री चन्द्रभान, प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक रहे और निम्नलिखित पदों पर अन्य अधिकारियों ने कार्य को सुचारू रूप से चलाने में निदेशक प्राथमिक शिक्षा को सहयोग दिया :—

क्रम संख्या	पद	पदों की संख्या
1.	संयुक्त निदेशक	1
2.	सहायक निदेशक	3
3.	रजिस्ट्रार शिक्षा	1

जिला स्तर

निदेशालय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा विभाग अलग किये जाने पर जिला स्तर पर भी प्राथमिक शिक्षा का कार्य अलग किया गया तथा प्रत्येक जिला में प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय बनाये गये । प्रत्येक जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी नियुक्त किये गये । प्रत्येक जिले में प्राथमिक शिक्षा का विकास, प्रशासन और नियन्त्रण का उत्तरदायित्व इन प्राथमिक जिला शिक्षा अधिकारियों पर है । जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी अपने जिले की प्राथमिक शिक्षा का विकास करते हैं और राज्य की शिक्षा नीतियों को कार्य रूप देते हैं ।

खण्ड स्तर पर

प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण तथा प्रशासनिक सुविधा के लिये राज्य को 118 शिक्षा खण्डों में बांटा गया है । खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने-अपने खण्ड में स्थित प्राथमिक शिक्षा के विकास तथा प्राथमिक विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिये अपने जिले के जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के प्रति उत्तरदायी हैं ।

राजकीय प्राथमिक विद्यालय

सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों का प्रशासनिक प्रबन्ध उनके हैड टीचरज के माध्यम से चलाया जाता है । सभी टीचरज अपने-अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों को सुचारू रूप से शिक्षा देने तथा उनके शैक्षिक, मानसिक और शारीरिक विकास के लिये खण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी/शिक्षा विभाग के प्रति उत्तरदायी हैं ।

अराजकीय विद्यालय

अराजकीय विद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी प्रबन्ध समितियों द्वारा चलाया जाता है । शिक्षा विभाग की नीति के अनुसार ही इन विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है । ये विद्यालय शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करते हैं । शिक्षा विभाग इन विद्यालयों को सुचारु रूप से चलाने के लिये अनुदान देता है । इन विद्यालयों का निरीक्षण भी शिक्षा विभाग के अधिकारी ही करते हैं

शिक्षा पर व्यय

वर्ष 1989–90 में प्राथमिक शिक्षा पर 10,899.80 लाख रुपये की राशि खर्च की गई । इसमें से योजनेत्तर पक्ष पर 8,567.05 लाख रूपये तथा योजना पक्ष पर 2,332.75 लाख रुपये व्यय हुये ।

अराजकीय विद्यालयों को अनुदान

अराजकीय विद्यालयों में शिक्षा कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिये सरकार उदारतापूर्वक अनुदान देती है । अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत राज्य सरकार अराजकीय विद्यालयों को उनके घाटे का 75 प्रतिशत तक अनुदान देती है । रिपोर्टाधीन अवधि में अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को 26.31 लाख रुपये की राशि अनुरक्षण अनुदान के रूप में दी गई । इसके अतिरिक्त कोठारी अनुदान के अन्तर्गत अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को 58.49 लाख रुपये की राशि दी गई ।

इसी प्रकार कैंट बोर्ड के प्राथमिक विद्यालयों को 20,000.रु. तथा हरियाणा चाईल्ड वैलफेयर कौसिल को 52,900 रुपये अनुदान के रूप में दिये गये ।

टाट–पट्टी

वर्ष 1989–90 में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के लिये 278126 मीटर टाट–पट्टी प्राप्त करने के लिये जेल विभाग हरियाणा को आदेश दिये गये । इसके सम्मुख उन द्वारा टाट–पट्टी की पूर्ति की जा रही है ।

अध्याय दूसरा

प्राथमिक शिक्षा

पूर्व प्राथमिक शिक्षा

पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3–6 आयु वर्ग के लड़के और लड़कियों को दी जाती है । राज्य में इस समय शिशु शिक्षा के लिये 7 पूर्व प्राथमिक विद्यालय सरकारी क्षेत्र में संचालित हैं । इसके अतिरिक्त राज्य में समाज के पिछड़े एवं औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे श्रमिकों के शिशुओं की देखरेख एवं शिक्षा सुविधा के लिये 20 राजकीय बालवाड़ियां कार्यरत हैं । रिपोर्टाधीन अवधि में पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियों में छात्र संख्या निम्न प्रकार है:–

(क) कुल छात्र संख्या (राजकीय एवं अराजकीय विद्यालय)

	लड़के	लड़कियां	जोड़
राजकीय विद्यालय	670	527	1197
मान्यता प्राप्त अराजकीय	3137	2321	5458
कुल	3807	2848	6655

(ख) अनुसूचित जातियों की छात्र संख्या

राजकीय	196	125	321
अराजकीय	119	69	188
कुल	315	194	509

अध्यापकों की संख्या

रिपोर्टाधीन अवधि में पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियों में अध्यापकों की संख्या

कुल अध्यापक	पुरुष	महिलायें	कुल
विद्यालय अनुसार	4	30	34
स्तर अनुसार	24	166	190
(ख) अनुसूचित जातियों के अध्यापक			
विद्यालय अनुसार	—	—	—
स्तर अनुसार	—	4	4

प्राथमिक शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा है । अतः इसे देश के प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध कराने के लिये इसका विस्तार तथा विकास अत्यावश्यक है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में इसके विस्तार एवं विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है । इस समय राज्य में प्राथमिक शिक्षा की सुविधायें 99 प्रतिशत ग्रामीण जनता को एक किलोमीटर की परिधि के अन्दर-अन्दर उपलब्ध है । रिपोर्टाधीन अवधि में प्राथमिक शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण आंकडे निम्न प्रकार हैं:-

विद्यालयों की संख्या	लड़के	लड़कियां	जोड़
सरकारी	4258	606	4864
गैर सरकारी	45	13	58

वर्ष 1989–90 में 100 नये प्राथमिक विद्यालय लड़कियों के लिये खोले गये तथा 2 शाखा विद्यालयों को पूर्ण विद्यालय बनाया गया ।

छात्र संख्या — प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1–5)

	लड़के	लड़कियां	जोड़
कुल छात्र संख्या	1153378	889982	2043360
अनुसूचित जातियों की छात्र संख्या	204517	161442	365959

6–11 आयु के विद्यालयों में जाने वाले छात्रों की प्रतिशतता

	लड़के	लड़कियां	जोड़
कुल छात्र संख्या की प्रतिशता	116.00	88.47	102.15
अनुसूचित जातियों के छात्रों की प्रतिशतता	108.26	84.46	96.29

अध्यापकों की संख्या	पुरुष	महिला	जोड़
(क) कुल अध्यापकों की संख्या (संस्था अनुसार)	9012	6449	15461
स्तर अनुसार (1–5).	19631	17160	36791
(ख) अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की संख्या			
संस्था अनुसार	789	132	921
स्तर अनुसार	1526	245	1771

छात्रवृति अभियान–

राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में पहली से पांचवी कक्षा तक के बच्चो को निशुल्क शिक्षा दी जाती है । प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति/पिछडी जाति के छात्रों/छात्राओं को 10/–रु0 प्रति छात्र लेखन सामग्री के क्रय हेतु वर्ष में एक बार दिये जाते हैं । वर्ष 1989–90 में 4 लाख छात्र/छात्राओ को मुफ्त लेखन सामग्री प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा 40.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई । राज्य में प्राथमिक

कक्षाओं में पढ़ने वाली 144153 हरिजन छात्राओं को 172.98 लाख रुपये की राशि 10 रुपये प्रति छात्रा प्रति मास की दर से उपस्थिति पुरस्कार के रूप में दी गई । अनुसूचित जाति/कमजोर वर्ष की कक्षा 1–5 में पढ़ने वाली 165000 छात्राओं को 102.50 लाख रुपये की लागत से मुफ्त वर्दियां देने का व्यवस्था की गई । इसके अन्तर्गत पहली तथा दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को 75/–रू0 की लागत से दो वर्दियां तथा तीसरी से पांचवी कक्षा की छात्राओं को 50/–रू0 की लागत से एक वर्दी देने की व्यवस्था है । 6–11 वर्ष तक की आयु के अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालय में लाने के लिये प्रति वर्ष अप्रैल मास में छात्र संख्या अभियान चलाया जाता है । वर्ष 1989–90 में इस अभियान पर 5.00 लाख रुपये की राशि खर्च की गई । इसमें से 2.50 लाख रुपये आकाशवाणी के माध्यम से प्रचार/प्रसारण कराने के लिये खर्च किये गये तथा शेष 2.50 लाख रुपये की राशि उन राजकीय विद्यालयों को भौतिक सुविधाओं में सुधार के लिये प्रोत्साहन के रूप में बांटी गई जिन्होंने अधिक से अधिक छात्र दाखिल किये थे ।

घुमन्तु जाति के 13687 बच्चों को 27.49 लाख रुपये उपस्थिति पुरस्कार के रूप में वितरित किये गये ।

शिक्षा नीति तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार

सामान्यतः ऐसा होता है कि एक ही कक्षा के कुछ विद्यार्थी पढ़ाई में तीव्र होते हैं तथा कुछ मन्द होते हैं । अतः विभाग ने यह अनुमति दी है कि यदि कक्षाओं में छात्रों की संख्या अधिक हो तो कक्षा के अलग–अलग सैक्शन बना दिये जायें तथा इन सैक्शनों को इस तरह बनाया जाए कि तीव्र बुद्धि के बच्चे एक सैक्शन में तथा मन्द बुद्धि वाले बच्चे दूसरे सैक्शन में आ जायें और जिस शिक्षक के पास मन्द बुद्धि वाले बच्चे हों उसके परिणाम को देखते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि वह कमजोर सैक्शन को पढ़ा रहा था ।

पहली से चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिये यह परीक्षा निति अपनाई गई है कि पहली तथा दूसरी कक्षा में कोई बच्चा फेल नहीं किया जाये तथा तीसरी–चौथी तथा पांचवीं कक्षाओं में परीक्षा के परिणाम अनुसार कार्यवाही की जाये ।

अध्याय तीसरा

(विविध)

शाला संगम केन्द्र

प्राथमिक स्तर पर कार्य कर रहे अध्यापकों की ~~व्यावसायिक~~ दक्षता बढ़ाने तथा प्राथमिक स्तर पर दी जा रही शिक्षा के स्तर को समुन्नत करने के उद्देश्य से शाला संगम योजना चालू की गई थी । इन शाला संगम केन्द्रों में प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापक प्रति मास एक दिन एकत्रित होते है तथा इस मासिक बैठक में अध्यापक कक्षा संबंधी अध्यापन समस्याओं पर परस्पर विचार विमर्श करते हैं। इन बैठकों में खण्ड शिक्षा अधिकारी समय-समय पर भाग लेते हैं ।

एस0सी0ई0आर0टी0 के प्रकाशन विभाग द्वारा प्राथमिक अध्यापक नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है । इस पत्रिका में प्राथमिक अध्यापकों के लिये सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक विकास के लिये व्यापक रूप से साहित्यिक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है । यह पत्रिका राज्य के प्राथमिक अध्यापकों को निशुल्क उपलब्ध की जाती है । प्राथमिक स्तर के अध्यापक प्रतिमास बैठकों में इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री पर विचार विमर्श करते हैं जिसमें बच्चों को रोचक तथा सुगम ढ़ग से शिक्षा देने का ज्ञान प्राप्त होता है। नई शिक्षा नीति में भी शाला संगम केन्द्रों के कार्यक्रम को अधिक सुदृढ़ तथा प्रभावकारी बनाने की बात की गई है ।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम

यह योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1987-88 में लागू की गई थी । इस योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 20 प्रतिशत सी०डी० ब्लाक /शहरी क्षेत्रों में 959 राजकीय प्राथमिक विद्यालय कवर किये गये थे । वर्ष 1989-90 में इस योजना के अन्तर्गत और 30 प्रतिशत सी डी0 ब्लाक /शहरी क्षेत्र के 1413 राजकीय प्राथमिक विद्यालय कवर किय गये । इस योजना के उद्देश्य राजकीय

प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक शिक्षण एवं अध्यापन सामग्री उपलब्ध करवाना तथा एक अध्यापकीय विद्यालयों में एक-एक अतिरिक्त अध्यापक का पद देना है। वर्ष 1989-90 में फर्नीचर, पुस्तकालय पुस्तकें और खेल का सामान आदि उपलब्ध करने के लिये 98.40 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है। इस योजना के अन्तर्गत एक अध्यापकीय विद्यालयों के लिय दूसरा अध्यापक देने हेतु 136 जे.बी.टी. अध्यापकों के पद स्वीकृत किये गये।

बुक बैंक

राज्य में अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों तथा कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करने हेतू बुक बैंको की स्थापना की हुई है। इन बुक बैंकों द्वारा कक्षा एक के विद्यार्थियों के लिये एक वर्ष के लिये तथा कक्षा दो से पांच तक के विद्यार्थियों के लिये दो वर्ष के लिये वापसी आधार पर पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं। वर्ष 1989-90 में बुक बैंकों पर 27.00 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

समाज उपयोगी उत्पादक कार्य

समाज उपयोगी उत्पादक कार्य शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। यह विषय नई शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग माना गया है। वर्ष 1989-90 में 1000 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के लिये 500 रुपये प्रति विद्यालय की दर से सरकार द्वारा 5 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

शैक्षिक तकनीकी अनुभाग

शिक्षा के गुणात्मक पक्ष में सुधार करने, विद्यालय स्तर पर होने वाले वैस्टेज को कम करने, प्राथमिक शिक्षा को अधिक प्रभावशाली तथा रोचक बनाने अध्यापकों की शिक्षा विधियों को नई दिशा देने तथा सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं प्रयोग करने में अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से एस0सी0ई0 आर0टी0 गुड़गावां में पहले से ही स्थापित शैक्षिक तकनीकी अनुभाग को जारी रखा गया।

युनीसेफ प्रोजेक्ट–5

वर्ष 1989-90 में युनीसेफ की सहायता से प्राथमिक शिक्षा के स्तर में

सुधार लाने के लिये प्रौजैक्ट-5 कैंप चलाया गया था, जिसमें 6-14 आयु वर्ग के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में शिक्षित करने का उद्देश्य था। इस कार्य के लिये वर्ष 1989-90 में 2.89 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। 1.3.90 से सभी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को भारत सरकार से सहायता न मिलने के कारण बन्द कर दिया है।

24866/D.P.I., H.G.P Chd.

NIEPA DC
D08965

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-8965
Date ....